

प्रेस नोट दिनांक-19.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल द्वारा दिनांक 18.09.2020 की रात्रि में थाना बहिलपुरवा के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। महोदय द्वारा अर्दली रुम में विवेचनाओं की समीक्षा की गयी एवं विवेचकों से विवेचना की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये, साथ ही वांछित की गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया। इस अर्दली रुम के दौरान हल्का प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि हल्का के टॉप-10 अपराधियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी रखें तथा उसके क्रिया कलापों पर भी कड़ी नजर रखें। थाना के टॉप-10 अपराधियों की गिरफ्तारी कर निरोधात्मक कार्यवाही करने तथा उनकी जमानत निस्तारीकरण की रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया गया। मुकदमों की प्रभावी पैरवी एवं गवाहों की समय से गवाही करवाने हेतु निर्देशित किया गया। उच्चाधिकारियों एवं आईजीआरएस से प्राप्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

अर्दली रुम के दौरान प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री पंकज कुमार पाण्डेय, पीआरओ. श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, वाचक श्री शिवबदन सिंह तथा थाना बहिलपुरवा के विवेचकगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 320/20 धारा 363/376 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र धर्मराज यादव निवासी चनदोर थाना बदौसा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिशिर कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब व 40 क्वार्टर देशी शराब ठेका के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अमानपुर से अभियुक्ता बही पत्नी गेंदालाल निवासी कपसेठी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 490/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

20 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. श्री रामवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. उ0नि0 श्री इन्दल यादव
3. आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(ii). उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव थाना बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा करका पड़रिया से अभियुक्त शत्रुघ्न चन्देल पुत्र सुरेश कुमार निवासी छीतूपुर ददरी माफी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 40 क्वार्टर देशी शराब ठेका के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 34/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी:-

40 क्वार्टर देशी शराब ठेका

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी अनुभव मिश्रा
3. आरक्षी अभिषेक यादव

(4). आज दिनांक 19.09.2020 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पाण्डेय एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री प्रकाश स्वरुप पाण्डेय की अध्यक्षता में थाना कोतवाली कर्वी में थाना समाधाना दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीग उपस्थित रहे।